### HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endt. no D/5007 TIL-6-4/2010

Jabalpur, dated 26 .8.2021

Copy of the notification no. 17(E)/44,2013/21-B(One) 3056/2021, dated 12.8.2021 of the Government of M.P., Department of Law and Legislative Affairs issued as per the provisions of Section 22(1) of the NIA Act, 2008 is forwarded to;

- 1. The Principal Secretary, Government of M.P., Department of Law & Legislative Affairs, Bhopal for information and necessary action;
- 2. P.S. to the Registrar General, Principal Registrar (Judicial), Principal Registrar (Vigilance) and Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
- 3. The Principal District and Sessions Judge; Bhind, Chhatarpur, Chhindwara, Damoh, Dhar, Guna, Katni, Neemuch, Raisen, Ratlam, Sagar, Satna, Sehore, Sidhi, Mandleshwar, Ashoknagar, Dindori for information and necessary action with request that the same may be served on the concerned Judges also;
- 4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
- 5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of M.P., Jabalpur for information;
- 6. Member Secretary, M.P. State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
- 7. Registrar (Judicial-1), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
- 8. The Joint Registrar Confidential; Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information;
- 9. The Deputy Controller, Government Central Press, Arera Hills, Habibganj, Bhopal-6 for publication in the next issue of Madhya Pradesh Rajpatra.

(VIVEK SAXENA) REGISTRAR (DE)

# मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

# अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 12 /08/2021

फा.क्रमांक 17(ई) 44/2013/21—ब(एक)/3056/2021,— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक ब(1)3476—2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग—एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 4, 6, 7, 8, 11, 13, 20, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 39, 44 तथा 49 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात:—

## सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
"4.	भिण्ड	श्री मोहम्मद अनीस खान, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
6.	छतरपुर	श्री अखिलेश कुनार मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
7	छिंदवाड़ा	श्रीमती कुमुदिनी पटेल, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
8	दमोह	श्री संजय कुमार चतुर्वेदी विशेष न्यायाधीश
11	धार	श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
13	गुना	श्री प्रदीप कुमार दुबे, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
20	कटनी	श्री आशुतोष मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
25	जवाद नीमच	श्री अनुज कुमार मित्तल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
27	रायसेन	श्री सुशांत हद्दार, विशेष न्यायाधीश
29	रतलाम	श्री अरुण कुमार खराडी, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
31	सागर	श्री संजय अग्रवाल, नौवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
32	सतना	श्री योगीराज पांडे, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
33	सीहोर	श्री सुरेश सिंह, विशेष न्यायाधीश
39	सीधी	श्री अजीत सिंह, विशेष न्यायाधीश
44	मण्डलेश्वर	श्री संजीव गुप्ता, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
47	अशोकनगर	श्री शैलेंद्र नगोत्रा, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
49	डिंडोरी	श्रीमती कविता इनवती, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

### **NOTIFICATION**

F-No. 17(E)/44/2013/21-B(0ne) 3056/2021,-In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely:-

#### **AMENDMENT**

In the said notification, in the table, for serial numbers 4, 6, 7, 8, 11, 13, 20, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 39, 44, 47 and 49 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	District	Proposed name of Session Judge / Special Judge / ASJ to be designated as Special Judge, u/s 22 of
		NIA Act.
"4.	Bhind	Shri Mohd Anis Khan, IV ASJ
6	Chhatarpur	Shri Akhilesh Kumar Mishra, II <sup>nd</sup> ASJ
7	Chhindwara	Smt. Kumudini Patel, IV ASJ
8	Damoh	Shri Sanjay Kumar Chaturvedi Special Judge
11	Dhar	Shri Ashok Kumar Sharma, ASJ
13	Guna	Shri Pradeep Kumar Dubey, ASJ
20	Katni	Shri Ashutosh Mishra, II ASJ
25	Jawad Neemuch	Shri Anuj Kumar Mittal, ASJ
27	Raisen	Shri Sushant Huddar, Spl Judge
29	Ratlam	Shri Arun Kumar Khardi, II ASJ
31	Sagar	Shri Sanjay Agrawal, IX ASJ
32	Satna	Shri Yogiraj Pandey, ASJ
33	Sehore	Shri Suresh Singh, Spl Judge
39	Sidhi	Shri Ajit Singh, Spl Judge
44	Mandleshwar	Shri Sanjeev Gupta, ASJ
47	Ashoknagar	Shri Shailendra Nogotra, II ASJ
49.	Dindori	Smt. Kavita Invati, ASJ

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(गोपाल श्रीवास्तव ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र0 17(ई) 44 / 2013 / 21—ब(एक) 3056 / 2021, भोपाल, दिनांक 12 / 08 / 2021 प्रतिलिपि:—

- रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,की ओर उनके ज्ञापन कमांक B/3491/III-6-4/10, दिनांक 05.07.2021 के संदर्भ में,
  - 2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय,नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली,
  - 3. संयुक्त सचिव (प्रशा.) विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) जैसलमेर हाऊस, नई दिल्ली
  - 4. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
  - 5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, डिंडोरी, गुना, कटनी, नीमच, रायसेन, रतलाम, सागर, सतना, सीहोर, सीधी एवं मण्डलेश्वर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
  - उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं ( म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

7. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड़ करने बाबत प्रेषित।

(अनिल कुमार अग्रवाल)

सचिव,

🚱 मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

DAA 24.8

